संख्या-257/2020/3036/22-2-2019-17(1182)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह निवासी जिला-औरंगाबाद (बिहार) की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, जो सा0 पिपरौला, थाना-नवीनगर, जनपद-औरंगाबाद (बिहार) का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01 भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश 12.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 18.09.2019 तक 16 वर्ष 02 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 05 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है किन्तु प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी सन्तोष कुमार सिंह (बन्दी संख्या-27774) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह निवासी जिला-औरंगाबाद (बिहार) के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी गयी** है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-257/2020/3036(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-257/2020/3036/22-2-2019-17(1182)/2019

दिनांक 13 जुलाई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, जो सा0 पिपरौला, थाना-नवीनगर, जनपद- औरंगाबाद (बिहार) का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01 भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश 12.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 18.09.2019 तक 16 वर्ष 02 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 05 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है किन्तु प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।